भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०- 35A/2017-18

हीरामनी सोय **बनाम** मनीष बांकिरा

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
11.11.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, कुचाई के पत्रांक 378 दिनांक 28.07.2017 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 35A / 2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता हीरामनी सोय, पति–स्व० मोहन सिंह सोय, ग्राम–मरांगहातु, थाना–कुचाई जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने ईलाज हेतु क्रेता मनीष बांकिरा, पिता लक्ष्मण बांकिरा, ग्राम–गालुडीह, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
रुचाब	17	155	59 / अं0	0.34 ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वंय के नाम से पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता सन्तान विहीन महिला है एवं अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। आवेदिका के हिस्से में 1.36 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.34 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 1.02 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'हो', जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.34 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।